श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर पीठ रीवा संभाग रीवा

1-लक्ष्मण प्रसाद तनयश्री राजकरण पटेल सा0 पड़रिया तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0
2- आनन्द बहादुर तनय श्री राजकरण पटेल सा0 पडरियॉ तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0

----आवेदक गण / रेस्पा0गण

बनाम

शिवदयाल पटेल तनय श्री काशीनाथ पटेल सा0 पड़रिया तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0

----अनावेदक / अपीलान्ट

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्री अनुबिभागीय अधिकारी प्रभारी तहसील रायपुर कर्चु0 रा0 प्रकरण क्र0 41अ6/ 09-010 आदेश दिनांक 04/10/13 मुताविक धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सहिता सन1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है।

1-यह कि अधी0 न्यायालय की आज्ञा बिधि एवं प्रक्रिया के बिरुद्ध है।

2- यह कि अनावेदक के पिता काशीनाथ पटेल ने सम्मिलित परिवार की भूमि नामान्तरण पंजी क0 2 में दर्शायी गई 17 किता भूमियो में जो उनका 3.52 ए0 हिस्सा था, स्थित ग्राम टटिहरी तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा जरिये रजि0 दस्तावेज आवेदक गण को हस्तान्तरित कर कब्जा दखल दे दिया था, तथा उसी रकवे का नामान्तरण जरिये रजि0 दस्तावेज दिनांक 7/9/90 को आवेदक गण के पक्ष में हुआ था, आवेदक गण के पक्ष में हुए नामान्तरण के सम्वन्ध में आवेदक का कोई हक हित न होने से न तो वह रुचिकर पक्षकार था, और ना ही उसे आवेदक गण के पक्ष में किये गये नामान्तरण की सूचना ही देने की आवश्यकता ही थी, किन्तु अनावेदक काशीनाथ का पुत्र होने से उसे पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, मानकर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधि0 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अधी0 न्यायालय ने भूल की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–4444-III / 13 जिला–.रीवा

लक्षण प्रसाद / शिवदयाल पटेल वगैरः

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री हीरालाल पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 41 / अ–6 / अपील / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 04.10.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	